



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 07.10.2025

थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे/निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 01 बांस की डण्डा बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायममरेज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-13/2025 धारा-190/191(2)/191(3)/115 (2)/352/109(1) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त ऋषि सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह निवासी ग्राम भांडा थाना दुर्गागंज जनपद भदोही को थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-07.10.2025 को थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत चौका मोड के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे/निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 बांस की डण्डा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के पश्चात नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-22.01.2025 को गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ककरहा जंघई में तेरहवी कार्यक्रम में आपसी पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करते हुए लाठी डण्डा आदि से मार-

पीट करते हुए फायरिंग की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सरायममरेज पर मु0अ0सं0-13/25 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। पूर्व में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर बाल सुधार गृह तथा 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

ऋषि सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह निवासी ग्राम भांडा थाना दुर्गागंज जनपद भदोही, उम्र करीब 20 वर्ष

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-013/2025 धारा-190/191(2)/191(3)/115 (2)/352/109(1) भा0न्या0सं0 थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

01 बांस का डण्डा (घटना में प्रयुक्त)।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 बालकेश, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 सौरभ यादव, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. हे0का0 जामवन्त सिंह, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. हे0का0 कमलेश यादव, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा 20,000 हजार रुपये का इनामिया 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेजा पुलिस टीम द्वारा थाना माण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 53/15 धारा 379/380/285/427/414 भादवि व $\frac{3}{4}$ विस्फोटक पदार्थ अधि0 एवं $\frac{3}{4}$ राष्ट्रीय सम्पति निवारण अधि एवं $\frac{3}{4}$ ईसी एक्ट व 15(2)/15(4)/16 पेट्रोलियम एवं मिनिरल पाइप अधि0 एक्ट व 3/7 ईसी एक्ट में वांछित इनामिया अभियुक्त रवि उर्फ बिंदी उर्फ विक्की पुत्र शमीम उर्फ शब्बीर नि0 ग्राम अरुआ शाहपुर थाना छायांसा जनपद फरीदाबाद (हरियाणा) उम्र करीब 30 वर्ष को आज दिनांक-07.10.2025 को खुशरो बाग के गेट कमिश्नरेट प्रयागराज से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.03.2015 को थाना माण्डा पर वादी सिध्दार्थ अवस्थी पुत्र स्व0 गंगाप्रसाद अवस्थी नि0 पटेलनगर कालोनी थाना बहरांवा रायवरेली प्रवन्धक इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 भूमिगत वरौनी कानपुर पाइप लाइन द्वारा प्रा0पत्र बाबत विपक्षीगणों द्वारा इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि0 भूमिगत वरौनी कानपुर पाइप लाइन से विभिन्न तिथियों में राष्ट्रीय मार्ग के किनारे स्थित ग्राम कुखुडी थाना माण्डा प्रयागराज में श्री तिलकराज सिंह नि0 वादपुर की दुकान के अन्दर कुंआ खोदकर डीजल पेट्रोल की चोरी करने के सम्बन्ध में दाखिल किया दाखिल प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना माण्डा पर मु0अ0सं0 0053/15 धारा 379/380/285/427/414 भादवि व $\frac{3}{4}$ विस्फोटक पदार्थ अधि0 एवं $\frac{3}{4}$ राष्ट्रीय सम्पति निवारण अधि एवं $\frac{3}{4}$ ईसी एक्ट व 15(2)/15(4)/16 पेट्रोलियम एवं मिनिरल पाइप अधि0 एक्ट व 3/7 ईसी एक्ट बनाम पांच अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम मे 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश मे आया था, अभियोग से सम्बन्धित सभी अभियुक्तगण लगातार फरार चल रहे थे, काफी प्रयास के बाद भी गिरफ्तारी ना होने की दशा में दिनांक 02.09.2025 को सभी अभियुक्तगण 1.राम हरि उर्फ कुलदीप पुत्र राम खिलाड़ी नि0 भंकरपुर बसैला थाना राय जनपद मथुरा 2.रवि उर्फ बिन्दी पुत्र स्व0 समीम 2.अजय 3.गहिमा

पुत्रगण सौनियानाथ निवासी गण अरूआ(शाहपुर खदर) थाना छायांसा जिला फरीदाबाद हरियाणा की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस उपायुक्त यमुनानगर महोदय द्वारा 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जिसके उपरान्त अभियुक्त अजय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका था। फरार ईनामीया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था, जिसके क्रम में आज दिनांक-07.10.2025 को मुकदमा उपरोक्त के बांछित अभियुक्त 1. रवि उर्फ बिंदी उर्फ विक्की पुत्र शमीम उर्फ शब्बीर नि० ग्राम अरूआ शाहपुर थाना छायांसा जनपद फरीदाबाद (हरियाणा) उम्र करीब 30 वर्ष उपरोक्त को खुशरो बाग के गेट कमि० प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त रवि उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि साहब मैं, राम हरि उर्फ कुलदीप पुत्र राम खिलाड़ी नि० भंकरपुर बसैला थाना राय जनपद मथुरा व उसके अन्य साथियों के साथ जहाँ से तेल पाइप लाइन गुजरी है वहाँ किराये की जमीन में ढाबा खोलकर उनका ढाबे की आंड़ में पाइप लाइन से तेल चोरी का कार्य करते थे। सारा काम राम हरि उर्फ कुलदीप की देखरेख व निगरानी में होता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रवि उर्फ बिंदी उर्फ विक्की पुत्र शमीम उर्फ शब्बीर नि० ग्राम अरूआ शाहपुर थाना छायांसा जनपद फरीदाबाद (हरियाणा) उम्र करीब 30 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु०अ०सं० 53/15 धारा 379/380/285/427/414 भादवि व $\frac{3}{4}$ विस्फोटक पदार्थ अधि० एवं $\frac{3}{4}$ राष्ट्रीय सम्पत्ति निवारण अधि एवं $\frac{3}{4}$ ईसी एक्ट व 15(2)/15(4)/16 पेट्रोलियम एवं मिनिरल पाइप अधि० एक्ट व 3/7 ईसी एक्ट थाना माण्डा प्रयागराज
2. मु०अ०सं०- 187/17 धारा- 379/411/427 भा०द०सं० 15/16 पीएमपी एक्ट व 3/ 4 राष्ट्रीय क्षति निवा० अधि० $\frac{3}{4}$ विस्फोटक पदार्थ अधि० थाना हाइवे जनपद मथुरा उ०प्र०

3. मु0अ0सं0- 195/17 धारा – 147/148/149/307/323/353 भा0द0स0 थाना हाइवे मथुरा जनपद मथुरा उ0प्र0।
4. मु0अ0सं0- 690/17 धारा 174ए भा0द0सं0 थाना हाइवे जनपद मथुरा उ0प्र0 ।
5. मु0अ0सं0- 907/17 धारा – 2 /3 गैगस्टर एक्ट थाना हाइवे जनपद मथुरा उ0प्र0।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 दीनदयाल सिंह थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. उ0नि0 उ0नि0 ब्रिजेश थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज
4. का0 विपिन चौधरी थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज
5. का0 धनंजय वर्मा थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज
6. का0 राजेन्द्र सिंह यादव थाना मेजा कमिश्नरेट प्रयागराज